नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

डा0 रोहित कुमार (पीएच0डी0, यू0जी0सी0 नेट शिक्षा भास्त्र)
विभागाध्यक्ष (डी.एल.एड.) आदिनाथ कालेज ऑफ एजूकेशन महर्रा ललितपुर

सारांश– किसी भी देश में परिवर्तन लाने के लिये देश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता होती है आज वर्तमान में देश में इस आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। इसरो के भूतपूर्व चेयर मैन श्री के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया ओर उन्हे दायत्वि सौपा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में भारत की शिक्षा प्रणाली को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है **स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा।** शिक्षा नीति में व्यवसायिक शिक्षा,वयस्क शिक्षा, पेशेवर शिक्षा के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र के नियमन को भी विस्तृत रुप से परिभाशित किया गया है।

विषेश भाब्दावली–

RSA= Rashtriya shiksha Aayog,

NTA= National Testing Agency

NRF= National Research Foundation

NHERA=National Higher Education Regulatory Authority

NIEPA= national Institution Of Educational Planning and Administration.

RTE =Right To Education

GER=Gross enrollment Rate

NAAC = National Assessment and Accreditation Council

स्कूली शिक्षा– पूर्व प्राथिमिक कक्षा से 12वीं कक्षा तक

उच्च शिक्षा– 12 वीं कक्षा के बाद दी जाने वाली शिक्षा जो विश्वविद्यालय स्तर पर दी जाती है।

प्रस्तावना–

बदलते हुये दुनिया के परिवेष के साथ हमें भी बदलने की आवश्यकता है किसी भी देश में परिवर्तन लाने के लिये देश की शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता होती है आज वर्तमान में देश में इस आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुये वर्तमान सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार करने का प्रयास सन 2017 में प्रारम्भ किया मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावेडकर ने इसरो के भूतपूर्व चेयर मैन श्री के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उन्हे दायत्वि सौपा गया नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट तैयार करने का इस समिति में निम्न अध्यक्ष के अतरिक्त 10 सदस्य–

1. बसुधा कामत,पूर्व वाइस चांसलर एस.एन.डी.टी. वूमेन युनीवसिटी मुम्बई,
2. केजी. एलेफोन्स,
3. मंजुल भार्गव संस्थापक प्रिसिटोन विश्वविद्यालय प्रिंसटोन यू.एस.ए.,
4. राम शंकर कुरील भूतपूर्व संस्थापक एप कुल सचिव बाबा साहिब अंवेडकर सोसल साइंस विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश,
5. टी.वी. कहीयानी कुल सचिव, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश ,
6. कृष्णा मोहन त्रिपाठी डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन एण्ड भूतपूर्व चेयरमेन उत्तर प्रदेश,
7. मजहर आसिफ प्रवक्ता, Cent of Persion and cantral asian studier school of Language Literature and culuse syudier JNU New Delhi.
8. एम.के श्रीधर भूतपूर्व सचिव सदस्य कर्नाटका नालेज कमीशन बैगलूर कर्नाटक,
9. राजेन्द्र प्रताव गुप्ता भूतपूर्व सलाकार स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार,
10. शकीला टी.सम्सू OSD (NEP) उच्च शिक्षा मानव विकास मंत्रालय भारत सरकर नई दिल्ली ।

इन चुने हुये सदस्यों ने लगन एवे उपने दायित्वों की पूर्ति कीते हुये शिक्षा नीति 2019 का ड्राफ्ट तैयार किया है।

राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का विजन– '' राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 एक भारत केन्द्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके हमारे राष्ट्र को एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज में लगातार बदलने में योगदान देती है''

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में भारत की शिक्षा प्रणाली को मुख्य रूप से दा भागों में विभाजित किया है–

1. स्कूली शिक्षा **2. उच्च शिक्षा**

स्कूली शिक्षा– स्कूली शिक्षा में भारत सरकार का मुख्य उददेश्य वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे कि लिये मुफ्त सुरक्षित उच्च गुणवत्तापूर्ण विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल आर शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित कराना है।

वर्तमान शिक्षा पणाली में 5 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की सीधे कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है परन्तु नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 से पूर्व 3 वर्ष की आयु के बच्चे का पहले प्री प्राइमरी कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा जिससे बच्चे में मानसिक विकास से लेकर उनकी स्कूल जाने की तैयारी, सीखने के बेहतर नतीजो,समानता और न्याय का विकास होगा। 3 से 6 की आयु तक के लिये विभिन्न कौ" ालों का विकास जैसे खुद से तैयार होना, मोटर कौशल,स्वच्छता अपने देखभाल करने वालों से दूर रहने का कौशल, देर तक एक ही स्थान पर बैठने एवं रहने का काशल, साथियों के बीच सहज रहने का कौशल, नैतिक मूल्यों का विकास करना है।

इन सब कौशलों के विकास के लिये आंगनवाडी केन्द्रो को सुदृढ किया जायेगा जिसके लिय आंगनबाडी कार्यकर्त्तायों को प्रशिक्षण दिया जायेगा यह सुनिशचित करने के लिये प्रत्येक मां एवं बच्चे की आंगनवाडी केन्द्रों तक पहुॅच सरल और निःशुल्क हो, आवश्यकता अनुरूप देश भर में अतिरिक्त गुणवत्तार्पूण केन्द्रों को स्थापित किया जायेगा । सभी आंगनवाडी केन्द्रो और प्राथमिक शालाओं को क्षेत्र के किसी प्रा. स्कूल से भैतिक या फिर औपचारिक/शैक्षणिक रूप से स्कूल कम्पेलेक्स के सबसे निचले पायदान से जोडा जायेगा।

प्रारम्भिक वाल्यावस्था शिक्षा को शामिल करने के लिये RTE एक्ट का विस्तार –

RTE एक्ट– जिसमें कक्षा 1 से 8 तक की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है उसका भी विस्तार किया जायेगा और इसमें बच्चों के मस्तिष्क के विकास के महत्वर्पूण समय प्रारम्भिक बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग में मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को RTE एक्ट के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जायेगा वर्ष 2030 तक कक्षा 12 स्तर के सभी विद्यार्थियों को RTE एक्ट के दायरे में शामिल किया जायेगा

पाठ्यचर्या की रूप रेखा– स्कूली शिक्षा के विकास के साथ साथ असके पाठ्यचार्या में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी अतः इसे पर्नगठन किया जायेगा इसमें चार चरण में बाटा गया है। अर्थात 5+3+3+4 स्वरूप होगा।

1. बुनियादी स्तर – प्रथम पॉच साल की बुनियादी स्तर होगा जिसमें पहले 3 साल पूर्व प्राथमिक स्कूल के लिये तथा बाद के 2 वर्ष कक्षा 1 एवं 2 के लिये रखे गये है। इसमे बहुस्तरीय,खेल आधारित गतिविधि आधारित एवं खोजने पर अधारित सीखना होगा।

2- प्रारम्भिक चरण – 3 वर्ष जिसमें कक्षा 3, 4, एवं 5 के लिये है ।

3. मध्य चरण – यह चरण 3 वर्ष को होगा जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का शिक्षण कार्य होगा।

4. माध्यमिक चरण – माध्यमिक चरण 4 वषो का होगा जिसमें माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक को रखा जायेगा।

फोकस समिति ने माना कि वर्तमान शिक्षा प्राणाली रट्टा मार पद्वति पर आधारित है जिसमे परिवर्तन आवश्यक है इसलिये नई शिक्षा नीति को करके सीखने पर आधारित बनाया गया है। कमेटी अनुशसा करती है कि प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को घटाकर केवल उसके आवश्यक मूल तक कर दिया जाये ।

स्कूल परीक्षा पद्वति में सुधार–स्कूली परीक्षा में भो सुधार की अनुशसा की गयी है अभी केवल कक्षा 10वीं एवं 12वी राज्यस्तरीय बोर्ड परीक्षाये होती है जब कि नई शिक्षा नीति में कक्षा 3, 5 एवं कक्षा 8 में राज्यों द्वारा तय सेन्सस परीक्षाऐ भी होगी। बोर्ड परीक्षाओं का पुर्नगणन किया जायेगा । विद्याथियों से अपेक्षा होगी कि वे कुल मिलाकर 24 विषय बोर्ड परीक्षाओं में बैठे । एक सेमेस्टर में औसतन 3 परीक्षायें ये परीक्षायें स्कूलों में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर होगी । छात्र अपने विषयों

और सेमेस्टर का चयन स्वयं कर सकेगें कि वे कब इन परीक्षाओं को देना चाहते है।

स्कूल का बुनियादी ढांचा– पूरे देश में विद्यार्थीयों में क्षेत्र विशश में रूचि और प्रतिभा के विकास के लिये स्कूल काम्पलेक्स ब्लॉक और जिले स्तर पर ,मुद्दे आधारित , प्रोजेक्ट आधारित क्लब, अलग –अलग विषयों जैसे गणित,विज्ञान,संगीत,चेस, काव्य, भाषा, साहित्य वाद–विवाद ,खेल आदि में स्थापित किये जायेगें। इनके लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ।

शिक्षा प्रबंधन – समिति न माना कि प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षकों की कमी है। इसमें सुधार की आवश्यकता है शिक्षक गैर शैक्षिक कार्यों में अधिक व्यस्त रहते है। जिसमें शिक्षण कार्य के लिये समय नही दे पाते। शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में सिफारिस की गयी है कि शिक्षकों को पॉच से सात साल तक एक विशेष परिसर में रखा जाये । उनका तवादला नही किया जाये। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को किसी भी गैर शिक्षण गतिविधियों में शमिल ,जो शिक्षण कार्य को प्रभावित करते है होने की अनुमति नही दी जाये, । शिक्षक प्रशिक्षण के लिये मौजूदा द्विवर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम को चार वर्षीय बी0एड0 (एकीकृत)। सभी विषयों विकास के लिये एक एकीकृत सतत व्यवसायिक पाठ्यक्रम तैयार किया जाये शिक्षकों को पूरा करना हागा ग्रामीण स्कूलो में पदस्थ शिक्षकों के लिय परिसर के निकट स्थानीय आवास उपलब्ध कराया जायेगा । विषय शिक्षकों की नियुक्ति के लिये उनके सम्बंधित विषयों में NTA परीक्षा प्राप्तांक को भी घ्यान में रख जायेगा स्कूलों में भर्ती के दौरान उनमें शिक्षण के प्रति रूचि और प्रात्साहन को परखने के लिये कक्षा में शिक्षण का प्रदर्शन और साक्षात्कार एक अभिन्न प्रकिया होगी शिक्षकों की नियुक्ति की पथम स्क्रीनिग TET से होगी ।

स्कूलों क नियमनः– (Regulation of School) शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट में स्कूलो के नियमन के लिये अनुशंसा की गयी है इसमें कहा गया कि स्कूल संचालन नीति निर्धारण एवं शैक्षिक विकास जैसे पहलुओं को अलग अलग करने की अनुशंसा की गयी । इसमें प्रत्येक राज्य को अलग अलग एक स्वतंत्र राज्य स्कूल नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया है जो सार्वजनिक और निजी स्कूलों के समान बुनियादी मानकों को निर्धारित करेगा राज्य का शिक्षा विभाग नीति तैयार करेगा और निगरानी एवं पर्यवेक्षण भी करेगा ।

स्कूल काम्लेक्स के माध्यम से प्रभावी गवर्नेस और कुशल संसाधन उपलब्ध कराना– स्कूलों के समूह को स्कूल काम्पेलेक्स का रूप दिया जाता है जिससे संसाधनों का साझा उपयोग सुगम बने और स्थानीय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी गर्वेन्स सुनिश्चित हो बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूलों को एक साथ लाकर संस्थानिक और प्रशासनिक इकाई का गठन किया जायेगा जिसे स्कूल कॉम्पलेक्स कहा जायेगा। इसमें भौतिक रूप से स्कूलों का स्थान परिवर्तन नही होगा और प्रशासनिक रूप से स्कूल कॉम्पलेक्स का भाग होने के बाबजूद हर स्कूल का संचालन जारी रहेगा। स्कूल कॉम्पलेक्स में पूर्व प्राइमरी से लेकर 12वी0 कक्षा तक के एक इसारे से नजदीकी के आधार पर किया जायेगा। स्कूल काम्पलेक्स का नेतृत्व माध्यमिक स्कूल का प्रधानाचार्य करेगा।

विनियामक संरचना और मान्यता– शिक्षा नीति 2019 ड्राफ्ट समिति ने कहा कि वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली अतिव्यापी जनादेश एवं कई नियामक वाली है इस कई ससथा अलग –अलग स्तर संस्थाओं को मान्यता देती है एवं उनका नियामान करती है जो उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थाओं की स्वायन्ता को कम करता है और निर्मरता और केन्दीय निर्णय लेने के वातावरण को बनाता है समिति इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रधिकरण के गठन का प्रस्ताव रखती है समिति का कहना है। कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी विषयों के विकास एक एकीकृत सत्त व्यवसायिक पाठ्यक्रम तैयार किया जाये शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष न्यून्तम 50 धण्टे के निरंतर व्यवसायिक विकास प्रशिक्षण को पूरा करना होगा।ग्रामीण स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के लिये स्कल परिसर के निकट स्थानीय आवास एपलब्ध कराया जायेगा। विषय शिक्षकों की नियुक्ति के लिये उनके सम्बंधित विषयों में NTC परीक्षा प्राप्तांक को भी ध्यान में रखा जायेगा। स्कूलों भर्ती के दौरान उनमें शिक्षण के प्रिति रूचि और प्रात्साहन को परखने के लिये शिक्षण और प्रदर्शन और साक्षत्कार एक अभिन्न प्रक्रिया होगी। शिक्षकों की नियुक्ति प्रथम स्क्रीनिंग TET से होगी ।

स्कूल काम्प्लेक्स के माध्यम से प्राभावी गवर्नेस और कुशल संसाधन उपलब्ध कराना —

स्कूलों के समूह को स्कूल काम्प्लेक्स का रूप दिया जाना है जिससे संसाधनों का साझा उपयोग सुगम बने और स्थानीय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी गबर्वेस सुनिश्ति हो

बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूलों को एक साथ लाकर संस्थानिक और प्रशासनिक इकाई का गठन किया जायेगा जिसे स्कूल कॉम्प्लेक्स की जायेगा इसमें भौतिक रूप से स्कूलों का स्थान परिर्वतित नही होगा और प्रसाशनिक रूप से स्कूल काम्प्लेक्स का भाग होने के बाबजूद हर स्कूल का संचालन जारी रहेगा। स्कूल काम्प्लेक्स में पूर्व प्राइमरी से लेकर 12 वी कक्षा तक के विद्यालयों को सम्मलित कया जायेगा जिसका चयन उनकी एक दूसरे से नजदीकी के आधार पर किया स्कूल काम्पलेक्स का नेतृत्व माध्यमिक स्कूल का प्रधानाचार्य करेगा।

उच्च शिक्षा – भारतीय शिक्षा प्रणाली में 12वीं कक्षा के बाद दी जाने वाली शिक्षा को उच्च शिक्षा की श्रेणी में रखा गया है।

उद्देश्य– उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करके देश भर में बहु अनुशासनात्मक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करना एवं वर्ष 2035 तक कुल नामांकन दर (Gross enrollment Rate , GER) को कम से कम 50 प्रतिशत तक बढाना।

वर्तमान भारत में 800 से अधिक विशविद्यालय और 40000 महाविद्यालय है। AISHE के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक महाविद्यालय केवल एक ही कार्यकृम चला रहे है। 20 प्रतिशत महाविद्यालयों में 100 से नीचे नामांकन है जबकि 40 प्रतिशत महाविद्यालयों में 3000 से अधिक नामांकन हो विगत वर्षो में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है परन्तु यह भी पर्याप्त नही है पिछले कई वर्षो में GER 25 प्रतिशत तक की वृद्वि हुई है वर्तमान में अधिकांश विश्व विद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध की कमी है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में सुधार के लिये निम्न अनुसंशा की गई है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के विखण्डन को समाप्त करना है बहुअनुशसनिक विश्व विद्यालयों और कॉलेजों में स्थानान्तरित करके उच्च शिक्षा में विखण्डन का अन्त करना ।

21 वी सदी की जरूरतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि एक उदार एवं व्यापकात के लिये हुये बहु अनुशासनात्मक शिक्षा ही हमारी एच्च शिक्षा का आधार होगी।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकारी (NHERA) की स्थापना की जायेगी। यह स्वतंत्र प्राधिकरण पेशवर,व्यवसाय शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में मौजूद सभी व्यक्तिगत नियामकों का स्थान लेगी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल उच्च शिक्षण संस्थानों क अनुदान सम्बंधी कार्य को देखेगा।

वर्तमान में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिये राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) है जो UGC के अर्न्तगत कार्य करती है। मसौरा समिति NAAC को स्वतंत्र एवं स्वायन्त संस्था बनाने की सिफारिश करती है

NAAC की नई भूमिका NAAC उच्च शिक्षा संस्थानों में श्रेष्ठ संस्थानों की पहचान करेगा और प्रत्येक 5 से 7 वर्षो में संस्थानों का मूल्यांकन करेगा। वर्तमान में संचालित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 2030 तक NAAC के मूल्यांकन कराना अनिवार्य होगा।

उच्च शिक्षण संस्थानों का पुर्नगठन– मसौरा समिति ने वर्तमान परिदृश्य को देखते हुये उच्च शिक्षण संस्थानों के पुर्नगठन की अनुशंसा की है उच्च शिक्षण संस्थानों को तीन प्रकार से पुर्नगठित किया जायेगा–

1. अनुसंधान और शिक्षण पर समान रूप से ध्यान केन्द्रित कने वाले अनुसंधन विश्वविद्यालय।

2. मुख्य रूप से शिक्षण ध्यान देने वाले विश्व विद्यालय।

3. केवल स्नातक स्तर शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने वाले कालेज।

उपरोक्त सभी प्रकार के विश्वविद्यालय एवं कालेज सभी शिक्षण संस्थान और अकारमिक,प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रदान किये जायेगे तथा ये धीरे –धीरे पूर्ण स्वयन्ता की ओर बढेगे।

राष्ट्रीय अनुसंधन फाउडेशन की स्थापना– सभी विषयों में उत्कृष्ट एवं रचनात्क अनुसंधन प्रस्ताव के लिये राष्ट्रीय अनुसंधन फाउडेशन की स्थापना की जायेगी। जिसमें प्रतिस्पर्धी अनुदान देने के लिये साथियों की समीक्षा और प्रज्ञतावों के सफलता को आधार रखा जायेगा। NRF शोधकर्ताओं,सरकार,उधोगों

और मत्रालयों के बीच एक सम्पर्क के रूप में कार्य करना ।

मसौरा समिति ने NRF की संरचना दी उन्होनेकहा कि NRF चार प्रमुख प्रभागों से मिलकर बनेगा–

1. विज्ञान
2. तकनीकी
3. सामाजिक विज्ञान
4. कला एवं मानविकी

NRF को प्रतिवर्ष 20,000 करोड रू की चित्तीय सहायता दी जायेगी जो (G.D.P. का 0.1 प्रतिशत) है।

NRF शोधकर्ताओं के काम को पहचानने वाले पुरूस्कारों और सेमिनार के माध्यम से फंडिग के साथ विषयों और विभन्न श्रीणीयों में पहल के माध्ययम से प्राप्त उत्कृष्ट शोध उपलबधियों को मान्यता भी देगा।

उदार शिक्षा कार्यक्रम– ड्राफ्ट समिति न कहा कि एक उदार शिक्षा दृष्टिकोण सभी विषय और श्रेत्रों में स्नातक शिक्षा का आधार होगा। सभी उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालयों सहित उदार शिक्षक शिक्षा के लिये सभी विश्वविद्यालय 4 वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम भी प्रदान करेगे। कई कॉलेज भी स्थापित करने का लक्ष्य रखेगे इसके अतिरिक्त अगले पॉच वर्षो के अन्दर पॉच उदारवादी कला संस्थानों को मॉडल बहु विषयक के रूप में स्थापित किया जायेगा।

संकाय का व्यवहारिक विकास– उच्च शिक्षण संस्थानों में जटिल सेवा शर्तो के बीच शिक्षक कार्य कर रहे है उन पर शिक्षण के अतिरिक्त अन्य भार भी है बदलती दुनियां में तकनीकी का शिक्षण क्षेत्र में उपयोग से भी शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है शिक्षकों को अपने कैरियर में स्वायत्ता एवं प्रगति भी लक्ष्यति नही है इस कारण मसौदा समिति में संकाय के व्यवसायिक विकास के लिये भी अनुशंसा की है। उन्होने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में संकाय के लिये सत्त व्यवसायिक विकास कार्यक्रम का विकास किया जायेगा एवं शिक्षण संस्थानो में संकाय के लिये एक स्थाई रोजगार टेक प्रणाली की शुरूआत की भी सिफारिश की है। शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30 प्रतिशत करने की भी सिफारिश की है।

अधिकतम शिक्षण वातावरण– कमेटी ने देखा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यचर्या कठोर संकीर्ण,एंव उवाऊ है इसमें शिक्षकों को पाठ्यचर्या को डिजायन करने की अनुमति नही है। जिससे शिक्षण कार्य में रूकावट पैदा होती है। और वह उतना प्रभावी नही हो पाता जितना कि होना चाहिये इसलिये मसौदा कमेटी अनुशसा करती हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों को पाठ्यचर्या और शैक्षणिक और संसाधन सम्बंधी मानकों में पूर्ण स्वायन्त्रता होनी है।

f”k{kd f”k{kk– उच्च f”k{kा का बहुविशय संस्थान उच्च गुणवत्ता के f”k{kण विभाग और f”k{kक f”k{kा कार्यक्रम को बनाने के लिए कार्य करेगें। 2030 तक सारे f”k{kक f”k{kा कार्यक्रम चार वर्शीय एकीकृत बी0एड0 कार्यक्रम उपलब्ध करायेगे। यह चार वर्शीय एकीकृत बी0एड0 डयूल मेजर लिबरल बैचलर्स डिग्री f”k{kा और कुछ वि”ोश विशयो जैसे–भाशा,इतिहास,संगीत,गणित,विज्ञान,रसायनविज्ञान,अर्थ” ाास्त्र ,कम्प्यूटर ,होगा।स्नातक कर चुके विद्यार्थियों के लिए दो वर्शीय बी0एड0 कार्यक्रम होगा। f”k{kक बनने के लिए प्रवे” ा परीक्षा ज्यादातर NTA करायेगी।

शिक्षा में तकनीकि – इस युग को सूचना एवं संचार क्रन्ति का युग कहा जा सकता है वर्ततान युग में शिक्षा क्षत्र में भी तकनीकि का तेजी से उपयोग बढा रहा है इसको और सुदृढ करने के लिये मसौदा सहित एक राष्ट्रीय तकनीकि मंच की स्थापना की अनुशंसा करती है। यह स्वातन्त्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने और किसी क्षेत्र विशश में उसके उपयोग से संबंधित निर्णयों को सुगम बनाना होगा।

व्यवसायिक शिक्षा– (Vocational Education) व्यवसायिक शिक्षा को सभी शैक्षिक संस्थानों ,स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों के साथ एकीकृत किया जाये। वर्ष 2025 तक लगभग 50 प्रतिशत छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाने का लक्ष्य रखा है।

व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति–मसौदा समिति ने 2025 तक 50 प्रतिशत छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा पदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के एक समिति का गठन करने का सुझाव दिया। शैक्षणिक संस्थानों में व्यवसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए अलग से कोष की स्थापना की जायेगी।

पशेवर शिक्षा–पेशवर शिक्षा क्षेत्र को विस्तारित किया जायेगा।विषेशतौर पर चिकित्सा, नर्सिग,कृषि क्षेत्र। भारत में पशवर शिक्षा के लिए योजना बनाने का कार्य आर0एस0ए0 द्वारा किया जायेगा। नये संस्थान खोलते समय NHERA के द्वारा एकत्रित आकडो का लिया

जायेगा।सभी पेशेवर अनुशासनों में किये जाने वाली शोध, NRF द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता की पात्र होगी। मौजूदा वित्तीय सहायता देनी वाली संस्थाएं जैसे– ICMR एवं ICAR भी अपनी वित्तीय सहायता जारी रखेगी।पेशेवर शिक्षा से संबन्धित सभी परिशदों नियामक की भूमिका में परिवर्तित करे उन्हें PSSB मे बदला जायेगा।

वयस्क शिक्षा–भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में अभी भी 3.26 करोड से अधिक वयस्क गैर साक्षर है जिनकी आयु 15 से 24 वर्ष है। इस संबन्ध में मसौदा समिति ने सिफारिश कि स्कूल परिसरों में वयस्क शिक्षा केन्द्र खाले जाये तथा वयस्कों के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम राश्ट्रीय मुक्त विद्यालय द्वारा तैयार करके संचालित किये जायेंगे। वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को संचालित करने लिए एक अलग से टीम गठित करने का प्रावधान रखा गया । गठित टीम में एक प्रशिक्षक एवं प्रबधंको का एक कैडर बनाने का सुझाव दिया गया है।

शिक्षा और भारतीय भाषाएं –शिक्षा मसौदा समिति ने सिफारिक्ष कि कक्षा 5 तक तक छात्रों को उनकी मात्र भाशा /घरेलू भाषा/स्थानीय भाा में दी जानी चाहिए। जहां तक संभव हो कक्षा 8वीं तक इन्ही भाषा में दी जानी चाहिए। प्रथम शिक्षा नीति में तीन भाषा का सूत्र दिया गया। तीन भाषा सूत्र से अभिप्राय पहली भाषा हिन्दी ,दूसरी भाषा राज्य की भाशा, तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी। इसी सूत्र को जारी रखने की सिफारिश की । भारतीय भाषाएं पाली, प्राकृत और फारसी जैसी भाषाओं को बढावा देने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाए। सभी क्षेत्रों म इन भाषाओं को बढावा देने के लिए भारतीय भाषाओं की शब्दावली का अधिकतम प्रयोग किया जायेगा।

प्रौढ ि"क्षा – प्रौढ ि" क्षा के संबन्ध में भी मसौदा समिति ने अनु" ंसा कि 2030 तक युवा व प्रौढ ि" क्षा साक्षरता दर 100 करना है। इसके लिए एक केन्द्रीय प्रौढ ि" क्षा संस्थान की स्थापना की जायेगी जो एन0सी0ई0 आर0 टी0 के एक घटक के रुप में कार्य करेगी। यह समिति प्रौढ ि" क्षा के लिए एक राश्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा विकसित करेगा। पाठ्यचर्या का ढॉका इतना लचीला होना चाहिए ि कवह स्थानीस जरुरतो के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। इस पाठ्यचर्या से 5 क्षेत्र कवर होगें–

1.बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान

2.महात्वपूर्ण जीवन कौशल

3.व्यवसायिक कौशल विकास

4.बुनियादी शिक्षा

5.सतत शिक्षा

प्रौढ शिक्षा के पाठ्यचर्या के 5 क्षेत्रों के प्रशिक्षकों को राश्ट्रोय, राज्य, जिला स्तर के संसाधनों के सहयोग से प्रशिक्षित किया जायेगा।

समाहार–निश्चित रुप से कह सकते है कि यदि मसौदा के अनुसार शिक्षा नीति 2019 लागू होती है तो वह भारत के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी । इस शिक्षा नीति से हमने भविष्य के भारत के निमार्ण की ओर एक कदम बढाया है। शिक्षा नीति 2019 मे शिक्षा के प्रत्येक पहुलओं और उनके सही रुप से कियावयन की रुपरेखा तैयार की है।

सन्दर्भ सूची–

1.प्रारुप राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2019.

2.Legislative Research " Committee Report Summary ,Draft National Education Policy"

3. https://mhrd.gov.in/